

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या:-3908/नौ-5-2017-371सा/2017
लखनऊ: दिनांक: 10 अक्टूबर, 2017


कार्यालय-आदेश

भारत सरकार द्वारा ई-प्रोक्वोरमेंट पोर्टल के रूप में गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) विकसित किया गया है, जो gem.gov.in पर उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा इस पोर्टल को शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016 दिनांक 23.08.2017 द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है। इस पोर्टल को उपयोग हेतु प्राथमिक उपयोग कर्ता (प्राइमरी यूजर्स) के रूप में निम्न अधिकारियों को पदनाम से इंगित भूमिका (Role) हेतु अधिकृत किया जाता है:-

Sr. No	Role	Designation	Name of Organization
1.	Primary User	निदेशक/मिशन निदेशक (अमृत/स्मार्ट सिटी)	नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ
2.	Primary User	मिशन निदेशक (एस.बी.एम)	नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ
3.	Primary User	अपर परियोजना निदेशक	उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ
4.	Primary User	निदेशक	नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ
5.	Primary User	प्रबन्ध निदेशक	उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6.	Verifying Officer	प्रमुख सचिव	नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

- उपरोक्त प्राइमरी यूजर Gem (<http://gem.gov.in/auth/register>) पर पंजीकरण करा लेंगे।
- यदि एक अधिकारी उपरोक्त अथवा अधिक संस्थाओं में प्राइमरी यूजर हैं, तो एक को छोड़कर शेष संस्थानों में वे अपने अधीन सक्षम वरिष्ठ अधिकारी को ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइमरी यूजर नामित करेंगे।
- प्राइमरी यूजर्स के जेम पर पंजीकरण हेतु निम्नलिखित सूचना की आवश्यकता होगी:-
 - आधार नम्बर।
 - आधार नम्बर से जुड़ा हुआ मोबाइल नम्बर।
 - सरकारी ई-मेल आईडी (nic.in/gov.in domain पर)
- एक रूपता के लिए विभागाध्यक्ष/संस्था प्रमुख द्वारा उक्त मेल आईडी का एकाउंट नेम/यूजरनेम (@से पूर्व का भाग) यूजर आईडी के रूप में रखा जाए।
- शासकीय विभागों द्वारा किसी भी बैंक एकाउंट को व्यवहृत नहीं किया जाता है, अतः बैंक के विवरण की स्क्रीन को खाली छोड़ते हुए आगे की सूचनाएं पोर्टल पर भरी जाए। शेष स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उपक्रमों द्वारा अपने बैंक विवरण को भरा जाए।

7. जब तक जेम पोर्टल का ट्रेजरी के साथ इण्टीग्रेशन किया जा रहा है, तब तक के लिए प्राइमरी यूजर्स द्वारा पेमेण्ट मेंथड में शासकीय विभागों द्वारा Other तथा पुनः नीचे के कॉलम में Other को चयनित किया जाए। शेष स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उपक्रमों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग का चयन किया जाए।
8. प्राइमरी यूजर्स की जिम्मेदारी होगी कि सभी सेकेण्डरी यूजर्स जेम पोर्टल के परिचालन से परिचित होकर सही ढंग से इसका उपयोग कर सकें।
9. सभी उपयोगकर्ता जेम पोर्टल के नियमों एवं शर्तों के अनुसार एवं शासन द्वारा विहित प्रक्रियाओं के तहत जेम पोर्टल का उपयोग करें।



(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-3908(1)/नौ-5-17 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
2. निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
4. निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
7. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
8. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।
9. गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।


U.S. Tiwari

आज्ञा से

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव